न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला–जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. भंवरलाल पुत्र श्री रामूराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर		1 रामूराम पुत्र सूराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर 2 लाखाराम पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई निवासी रावतबेरा ढाबढी तहसील ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ऽदमा नम्बर :– 115 / 2019

स्थित अधिवक्ता :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री ओमप्रकाश गोदारा
2. अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी

दिनांक :– 25·10·201

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार निम्नानुसार है कि प्रार्थी ने ार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,90,92ए,188 राजस्थान श्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद मे वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से र्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद मे प्रार्थी को सफलता मिलने की ी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम केलनसर के मूल निवासी तथा प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 । पुत्र है तथा पेशे से कृषक है। प्रार्थी व अप्रार्थी के पूर्वज सूरा पि. किस्तुरा तथा अन्य ातेदारों के खातेदारी की भूमि ग्राम केलनसर तहसील बा पके खसरा नंबर 507 रकबा 39.17 ाघा, खसरा नंबर 545 रकबा 56.06 बीघा, खसरा नंबर 104 रकबा 126.13 बीघा, खसरा नंबर '2 रकबा 156.17 बीघा व खसरा नंबर 109 रकबा 170.16 बीघा, खसरा नंबर 48 रकबा 28. 1 बीघा, खसरा नंबर 54 रकबा 39.11 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी की आई हुइ है जो भूमि व केलनसर के अलग होकर नवसृजित राजस्व ग्राम सुथारनाडा के खसरा नंबर 507 रकाब 9.17 बीघा, खसरा नंबर 545 रकबा 56.06 बीघा, खसरा नंबर 572 रकबा 156.17 बीघा तथा जस्व ग्राम कोडियानाडा के खसरा नंबर 104 रकबा 126.13 बीघा, खसरा नंबर 109 रकबा

कलक्टर
जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

70.16 बीघा और राजस्व ग्राम जालदड़ा के खसरा नंबर 48 रकबा 28.11 बीघा व खसरा बर 54 रकबा 39.11 बीघा स्थित है। जो भूमि उक्त बन्दोबस्त प्रार्थी के दादा तथा अप्रार्थी के पिता सूरा पि. किस्तुरा तथा अन्य सहखातेदारों के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई उपरोक्त र्णित जायदाद कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि । जिसको आगे पदो मे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

राजस्व ग्राम कोडियानाडा तहसील बाप के खसरा नंबर 104 रकबा 126.13 बीघा, खसरा नंबर 109 रकबा 170.16 बीघा भूमि तथा राजस्व ग्राम जालदड़ा तहसील बाप के खसरा बर 48 रकबा 28.11 बीघा, खसरा नंबर 54 रकबा 39.11 बीघा और राजस्व ग्राम सुथारनाडा हसील बाप के खसरा नंबर 507 रकबा 39.17 बीघा, खसरा नंबर 545 रकबा 56.06 बीघा मि वक्त बन्दोबस्त भूरा, सूरा पुत्रगण किस्तुरा के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई तथा ग्राम थारनाडा के खसरा नंबर 572 रकबा 156.17 बीघा भूमि वक्त बन्दोबस्त भूरा, सूरा पि. स्तुरा 1/2 हिस्सा तथा जगमाल, पांचराम पुत्रगण रामूराम 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में र्ज हुइ इस प्रकार इस पद में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त हिन्दू रिवार की पैतृक भूमि है। प्रार्थी के दादा तथा अप्रार्थी संख्या 1 पिता सूराराम का देहान्त होने र इस पद में वर्णित भूमि परिये फौतेदगी नामान्तरकरण से सूराराम पुत्र किस्तुराराम के ायन्दा पुत्र खमूरा, जोराराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रार्थीगण के विरू, इस आशय की जारी की जावे की ग्राम कोडियानाडा में स्थित खसरा बर 104 रकबा 126.13 बीघा मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 109 कबा 170.16 बीघा में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा राजस्व ग्राम सुथारनाडा के सरा नंबर 507 रकबा 39.17 बीघा, खसरा नंबर 545 रकबा 56.06 बीघा में अप्राथी संख्या 1 ा 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 572 रकबा 156.17 बीघा में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा ौर राजस्व ग्राम जालदड़ा के खसरा नंबर 48 रकबा 28.11 बीघा, खसरा नंबर 54 रकबा 39. 1 बीघा में अप्रार्थी संख्या 1 ता 1/4 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो वंय करे और न ही किसी अन्य से करवाये तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये खे जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। समन वाद तामिल प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह ोलकी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किये गये। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र आवश्यक सुनवाई का पेश किया जिस से मिसल तलब होकर पेश ई। सीधे ही प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया क प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का बेटा है और हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपने हक ी घोषणा हेतु दावा पेश किया है दावा के पेज संख्या 3 पर वर्णित सजरा अनुसार वक्त टलमेंट के पहले से सम्पूर्ण भूमि पैतृक व सामलाती सम्पति है। अप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थी े पिता है जिनके नाम उक्त भूमि फौतेदगी नमान्तरकरण संख्या 101, 102 मौजा केलनसर के ारा 1/2 हिस्सा दर्ज हुई। प्रार्थी के अलावा उसके भाई बहन पिताजी के साथ रहते है।

Scanned by CamScanner

न्य भाई बहन खमूराम से मिलकर भूमि बेचान करने का षड्यंत्र रच रहे है। कुछ भूमि इन्होंने खाराम पुत्र रूमाराम को बेच भी दी है और अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम बोल बनी भूमि को ने पर आमदा है।इस से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार मुझे मेरे खातेदारी अधिकारों से वंचित रने पर आमदा है। बहस मे आगे बताया कि अप्रार्थी संख्या 2 भूमि के सहखातेदार होने के रण भूमि का दुरूपयोग नही कर सकते है। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे भी उल्लेख नही क्या है कि वादग्रस्त भूमि मे किस जगह नलकूप खुदवाया जावेगा। यदि इनके द्वारा नलकूप नवाया जाता है तो इनका रथाई कब्जा हो जावेगा। जबकि मै भी वादग्रस्त भूमि मे अप्रार्थी ख्या 1 के हक हिस्से की भूमि मे 1/4 हिस्से का हकदार हूँ। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा न सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा दाना फैसला प्रार्थी के पक्ष मे जारी किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्यो को दोहराते ए कथन किया कि ग्राम कोडियानाडा के खसरा नंबर 104 रकबा 126.13 बीघा व अन्य सरान् की भूमि स्थित है। खसरा नंबर 104 मे अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा बनता है। ो जमाबंदी व राजस्व रेकर्ड मे मेरा नाम दर्ज है। उक्त 1/4 हिस्से मे से अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 को 13 बिस्वा भूमि नलकूप विद्युत कनेक्शन लेने हेतु बेचान की गई है। प्रार्थी संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार है। इसलिए वो चाहता तो उन्हे अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि चने से विधिवत कोई रोक नही सकता था। फिर भी अपने हिस्से की भूमि मे विकास कार्य तु ही मात्र 13 बिस्वा भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किया गया है। विद्युत कनेक्शन क्त भूमि के लिए स्वीकृत हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 ने तो अपने तीनों पुत्रो के नाम अन्य ूमि खरीद कर भी दी है। अप्रार्थी की उक्त भूमि मे विकास कार्य मे बाधा पहुंचाने की नियत े प्रार्थी द्वारा वाद दायर गया है। जो कि गलत है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सख्या 2 के नाम से वीकृत विद्युत कनेक्शन को रूकवाने की नियत से स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी केया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन केया गया। बहस पर मनन किया गया. वाद मनन एवं चिन्तन के पाया गया कि वादग्रस्त ूमि पैतृक भूमि है. वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी का वादग्रस्त खसरान् की भूमि ें नोशनल हिस्सा बनने के कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय ति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनने पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ोने से राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखने की सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कोडियानाडा में स्थित खसरा नंबर 104 रकबा 126.13 बीघा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 109 रकबा 170.16 बीघा में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा राजस्व ग्राम सुथारनाडा के खसरा नंबर 507 रकबा 39.17 बीघा, खसरा

Scanned by CamScanner

नंबर 545 रकबा 56.06 बीघा मे अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 572 रकबा 156.17 बीघा मे अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा और राजस्व ग्राम जालन्दड़ा के खसरा नंबर 48 रकबा 28.11 बीघा, खसरा नंबर 54 रकबा 39.11 बीघा मे अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्से की भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु पाबंद रहेंगे। पत्रावाली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 25.10.2019 को सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (मिर्धा जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner